निर्णय न्यायालय श्री जवाहरलाल जैन आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
493/2022	31.3.2022	10.08.2023

1.कमलेशी पत्नि बाबूलाल जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर।

— वादिया

बनाम

1.भरतलाल पुत्र गोपी जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर।
2.सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मो0 इस्लाम खान एडवोकेट एडवोकेट वादीया की और से
श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी 1 की और से

निर्णय

वादिया ने दावा इस आशय का पेश किया है कि वादिया व प्रतिवादी सं0 1 की सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नं0 114 रकवा 2.33 हैक्टर ग्राम पीलोदा में स्थित है। जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 अपने हिस्सेनुसार व कब्जेनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं।उक्त भूमि में से 1.50 हैक्टर उत्तर दिशा की तरफ का प्रतिवादी सं0 1 ने वादिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दिया है। वादिया एक वृद्ध महिला हे जिसे प्रतिवादी सं0 1 आये दिन परेशान करता रहता है तथा उसके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करता है। वादिया ने प्रतिवादी सं0 1 से दिनांक 20.3.2022 को तहसील में चलकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज सीमाओं के मुताबिक वादिया को विक्रय की गई भूमि का कब्जेअनुसार विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी सहमति व्यक्त नही की तथा वादिया को धमकी दी कि वह वादिया को समस्त भूमि पर कब्जा करेगा। प्रतिवादी सं0 1 झगडालू किस्म का व्यक्ति है तथा वह वादिया को आये दिन परेशान करता है तथा सहखातेदारी की भूमि के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न करता है। अतः दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादी सं01 डिक्री फरमाया जाकर वादिया व प्रतिवादी सं0 1 की सहखातेदारी की भूमि 114 रकवा 2.33 हैक्टर में से वादिया की कय शुदा भूमि 1.50 है0 का पृथक से विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी सं01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। दिनांक 18.8.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट ने जवाब दावा पेश कर विवादित भूमि के सम्बंध में भूमि विभाजन को लेकर कोई विवाद न होना जाहिर किया तथा रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि को नपवायी जाकर विभाजन मे सहमति दी है तथा वकील उभयपक्षकारान ने सहमति से विभाजन स्कीम मगवाने पर सहमत होने पर दिनांक 15.9.2022 को दावा वादिया प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर को विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार हैः–

1.भूमि खसरा नं0 114/1 रकवा 1.50है0 ग्राम पीलोदा अ तहसील वजीरपुर वादिया कमलेशी पत्नि बाबूलाल जाति मीना निवासी पीलोदा खातेदार राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पीलोदा के हिस्से में रहेगी।

2. भूमि खसरा नं0 114/2 रकवा 0.83है0 ग्राम पीलोदा अ तहसील वजीरपुर प्रतिवादी संख्या 1 भरतलाल पुत्र गोपी जाति मीना निवासी पीलोदा खातेदार राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पीलोदा के हिस्से में रहेगी।

विभाजन स्कीम प्राप्त होने पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने विभाजन स्कीम अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने में सहमति जाहिर की ।

आदेश

अतः दावा वादिया मुताबिक विभाजन स्कीम इस आशय का डिक्री किया जाता है किः–

1.भूमि खसरा नं0 114/1 रकवा 1.50है0 ग्राम पीलोदा अ तहसील वजीरपुर वादिया कमलेशी पत्नि बाबूलाल जाति मीना निवासी पीलोदा खातेदार राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पीलोदा के हिस्से में रहेगी।

2. भूमि खसरा नं0 114/2 रकवा 0.83है0 ग्राम पीलोदा अ तहसील वजीरपुर प्रतिवादी संख्या 1 भरतलाल पुत्र गोपी जाति मीना निवासी पीलोदा खातेदार राहिन बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पीलोदा के हिस्से में रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी के खाते पृथक–पृथक दर्ज किये जावें। राजस्व लगान पृथक–पृथक किये जावें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।पर्चा डिक्री पृथक से जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.08.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर